

आर्पातप

संघित, प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राथमिकपरिषद् संख्या/उत्तर/2021/3337

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

आर्पातप आदेश

संघित भारतीय एक-वर्षी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली दिल्ली काउन्सिल ऑफ़ इंग्लिश, नई दिल्ली द्वारा सन् 2021-22 हेतु दिल्ली का राष्ट्रीय एक-वर्षी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बन्धित विद्यार्थी प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघित नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन् 2021-22 हेतु, संघित नई दिल्ली को सम्बद्धता प्राप्त में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विद्यार्थी प्रदान करने प्रवेश समता सुनिश्चित अन्य गयीं पर विचार करने हेतु सन् 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बन्धित विद्यार्थी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेशक्रम एवं प्रवेश संश्लेषित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विद्यार्थी प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1248-UNITY DEGREE COLLEGE,SHYKADAR ASALATPUR,BILASPUR ROAD SUAR,RAMPUR-244924			
क्र.सं०	पठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०आई० पी०सी०आई० द्वारा सन् 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन् 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई० पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयीं शर्तें पूर्णतः का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली 2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु ₹-3015000/- प्रवेश, दो वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु ₹-4500000/- प्रवेश एवं एक वर्ष की वार्षिक प्रत्येक वर्ष हेतु ₹-2150000/- प्रवेश शुल्क ही प्रवेश प्रदान करने से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों से शुल्क के अभाव में प्रवेश करने पर प्रवेश द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अनुमोदन प्रदान की जाएगी, और अनुमोदन कार्यालयी विचार करने आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारित समिति द्वारा सन् 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाएगा है, जो प्रवेश की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद तथा नए समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध प्रवेश करने विनियमवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के अभाव में प्रवेश करने की शर्तों में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही



(प्रवीण कुमार पाटील)

अध्यापक

